न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 302/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/517

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
दलीचंद पुत्र बुद्धाराम जाति खारोल (खारवाल) निवासी पचपदरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री वीराराम प्रजापत अधिवक्ता प्रार्थी
2. विप्रार्थी अनुपस्थित

आदेश

दिनांक 26/09/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 2813 से विभक्त होकर खसरान संख्या 3952/2813,3953/2813 व 3954/2813 कायम हुए,जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे अवस्थित है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि का मौका कब्जा काश्त के विपरीत जाकर तरमीम किए जाने के कारण प्रार्थी को क्षति हो रही है। अतं विवादित आराजी के मूल खसरा संख्या 2813 से विभक्त होकर बने खसरान संख्या 3952/2813,3953/2813 व 3954/2813 की विदयमान तरमीम को निरस्त की जाकर नजरी नक्शा परिशिष्ट अ के मुताबिक तरमीम दुरूस्ती करवाने हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया।

2. प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिए रजिस्ट्री नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी का नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी की ओर से जवाब पेश नही कर विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट पेश की गई। वक्त बहस विप्रार्थी अनुपस्थित रहे।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

3.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 2813 से विभक्त होकर खसरान संख्या 3952/2813,3953/2813 व 3954/2813 कायम हुए,जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे अवस्थित है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि का मौका कब्जा काश्त के विपरीत जाकर तरमीम किए जाने के कारण प्रार्थी को क्षति हो रही है। इसके अलावा प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है तथा सरकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त नही हो रहा है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि विवादित आराजी के मूल खसरा संख्या 2813 से विभक्त होकर खसरान संख्या 3952/2813,3953/2813 व 3954/2813 की विदयमान तरमीम को निरस्त की जाकर मौका रिपोर्ट के अनुसार तरमीम दुरूस्ती किए जाने के आदेश पारित किए जावे।

4.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 3952/2813,3953/2813 व 3954/2813 भूमि प्रार्थी की खातेदारी मे अवस्थित है। विवादित भूमि का विदयमान नक्शा व मौका रिपोर्ट मे प्रस्तावित तरमीम नक्शा अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि की तरमीम मौका कब्जा काश्त के विपरीत हो रखी है,जो कि प्रार्थी के हितो के विपरीत तरमीम कर रखी है,अशुद्व तरमीम को प्रस्तावित नक्शा मुताबिक दुरूस्त किए जाने से रेकर्ड एवं मौका स्थिति मे एकरूपता आऐगी। इसके साथ ही तहसीलदार पचपदरा ने अपनी मौका रिपोर्ट मे स्पष्ट अंकन किया है कि विवादित भूमि की विदयमान तरमीम मौका कब्जा के अनुरूप नही हो रखी है। ऐसी सूरत मे तहसीलदार पचपदरा की मौका रिपोर्ट के अनुरूप तरमीम दुरूस्त की जानी उचित प्रतीत होती है। इस प्रकार प्रकरण तहसीलदार पचपदरा को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी विवादित भूमि की तरमीम दुरूस्ती करवाने का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–मंडापुरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 3952/2813, 3953/2813 व 3954/2813 की विदयमान तरमीम निरस्त की जाती है तथा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि विवादित आराजी का मौकॉ कब्जा काश्त अनुरूप नये सिरे से तरमीम किए जाने के आदेश नियमानुसार पारित करें।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 26/09/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी 26/09/2025
बालोतरा